न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मती रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 610/2018

1. स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर।

.......वादी

बनाम

1. निर्मल सिह पुत्र हाकम सिह जाति जटसिख निवासी मोड़ा तहसील श्रीकरणपुर
2. सुखदेव सिह पुत्र हाकम सिह जाति जटसिख निवासी मोड़ा तहसील श्रीकरणपुर
3. अंग्रेज सिह पुत्र हाकम सिह जाति जटसिख निवासी मोड़ा तहसील श्रीकरणपुर
4. गुरदीप सिह पुत्र हाकम सिह जाति जटसिख निवासी मोड़ा तहसील श्रीकरणपुर
5. हरदीप सिह पुत्र हाकम सिह जाति जटसिख निवासी मोड़ा तहसील श्रीकरणपुर
6. गुरचरण सिह पुत्र मेला सिह जाति जटसिख निवासी मोड़ा तहसील श्रीकरणपुर
7. कुलदीप सिह पुत्र मेला सिह जाति जटसिख निवासी मोड़ा तहसील श्रीकरणपुर
8. मुकन्द कौर पुत्री महेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी मोड़ा तहसील श्रीकरणपुर
9. मेजर सिह पुत्र महेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी मोड़ा तहसील श्रीकरणपुर
10. मूर्ती पुत्री महेन्द्र सिह सिह जाति जटसिख निवासी मोड़ा तहसील श्रीकरणपुर
11. जसपाल कौर पुत्री महेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी मोड़ा तहसील श्रीकरणपुर
12. जलन्धर सिह पुत्र बन्ता सिह जाति जटसिख निवासी मोड़ा तहसील श्रीकरणपुर
13. जसप्रीत सिह पुत्र नायब सिह जाति जटसिख निवासी मोड़ा तहसील श्रीकरणपुर
14. सुखवीर सिह पुत्र नाजम सिह जाति जटसिख निवासी मोड़ा तहसील श्रीकरणपुर
15. गुरजीत सिह पुत्र प्रेम सिह जाति जटसिख निवासी मोड़ा तहसील श्रीकरणपुर
16. गुरदीप सिह पुत्र प्रेम सिह जाति जटसिख निवासी मोड़ा तहसील श्रीकरणपुर
17. रणजीत सिह पुत्र गुरदेव सिह जाति जटसिख निवासी मोड़ा तहसील श्रीकरणपुर
18. टेकसिंह सिह पुत्र मुखत्यार सिह जाति जटसिख निवासी मोड़ा तहसील श्रीकरणपुर
19. जवन्दसिह पुत्र जगदेव सिह जाति जटसिख निवासी मोड़ा तहसील श्रीकरणपुर
20. मेवा सिंह सिह पुत्र प्रेम सिह जाति जटसिख निवासी मोड़ा तहसील श्रीकरणपुर
21. जसपाल कौर पुत्री महेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी मोड़ा तहसील श्रीकरणपुर

....प्रतिवादीगण

<u>अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम</u>

दिनांक : 23/1/19

--निर्णय--

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि चक 46 एफ की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 39 मे मु0 नं0 44,,49,85/19 की कुल 7.590 हैक्टर भूमि दर्ज है। इस खाता मे खातेदारों का योग 8.885 हैक्टर तथा खाते का योग 7.590 हैक्टर है। इस प्रकार सहखातेदारो का योग और खाते का योग में 1.265 हैक्टर का अन्तर है। जिसके कारण यह खाता अपवादित है।

मिसल बन्दोबस्त 2027-36 मे यह खाता सही था ओर मुस्तरका खाता था इस खाते का कुल क्षेत्रफल 30 बीघा अर्थात 7.590 हैक्टर था। इस साझा खाता मे गज्जन सिह, निरजंन सिह,महेन्द्र सिह पिसरान फतेह सिह के नाम कुल खाते का 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर दर्ज था अर्थात प्रत्येक का हिस्सा 1.265 हैक्टर था।

...बंदी सम्वत 2037-40 बनाते समय सहवन से निरजंन सिह का नाम छुट गया था। उसके हिस्से ... .265 हैक्टर उसके भाईयो गज्जन सिह व महेन्द्र सिह के नाम दर्ज हो गई। इस प्रकार गज्जन

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

सिह व महेन्द्र सिह प्रत्येक का हिस्सा 1.896 हैक्टर हो गया जबकि उनका वास्तविक हिस्सा प्रत्येक का 1.265 हैक्टर ही था। दिनांक 01.07.2016 को शुद्धि पत्र संख्या 4 से निरजंन सिह के वारिसो द्वारा निरजन सिह का नाम पुनः खाते मे दर्ज करवा दिया। लेकिन शुद्धि पत्र भरते समय तत्कालीन पटवारी द्वारा गलती से 1.265 हैक्टर रकबा को जो निरजंन सिह के नाम दर्ज किया गया। इस रकबा को गज्जन सिह व महेन्द्र सिह के खाते से कम नही किया जो कि करना चाहिये था। इस कारण यह खाता अपवादित हो गया।

गज्जन सिह, निरजन सिह, महेन्द्र सिह पिसरान फतेह सिह के फौत होने पर निम्न प्रकार से इन्तकाल दर्ज किये गया :-

1. गज्जन सिह के फौत होने पर वसीयत इन्तकाल 85 दिनांक 15.10.1986 दर्ज किया गया।

(क) निर्मल सिह पुत्र हाकम सिह का हिस्सा 0.189 हैक्टर दर्ज हुआ जो 0.126 हैक्टर होना चाहिये था।

(ख) सुखदेव सिह पुत्र हाकम सिह का हिस्सा 0.189 हैक्टर दर्ज हुआ जो 0.126 हैक्टर होना चाहिये था।

(ग) अग्रेज सिह पुत्र हाकम सिह का हिस्सा 0.189 हैक्टर दर्ज हुआ जो 0.126 हैक्टर होना चाहिये था।

(घ) गुरदीप सिह पुत्र हाकम सिह का हिस्सा 0.189 हैक्टर दर्ज हुआ जो 0.126 हैक्टर होना चाहिये था।

(ड) हरदीप सिह पुत्र हाकम सिह का हिस्सा 0.189 हैक्टर दर्ज हुआ जो 0.126 हैक्टर होना चाहिये था।

(च) गुरचरण सिह पुत्र मेला सिह का हिस्सा 0.474 हैक्टर दर्ज हुआ जो 0.316 हैक्टर होना चाहिये था।

(छ) कुलदीप सिह पुत्र मेला सिह का हिस्सा 0.474 हैक्टर दर्ज हुआ जो 0.316 हैक्टर होना चाहिये था।

नोट :- कुलदीप सिह द्वारा अपना हिस्सा 0.474 हैक्टर कुलदीप सिह के पक्ष मे दस्तबरदार किया गया इससे गुरचरण सिह का हिस्सा 0.948 हैक्टर हो गया जबकि गुरचरण सिह का कुल हिस्सा 0.632 हैक्टर होना चाहिये।

2. महेन्द्र सिह के फौत होने के पश्चात विरास्तन इन्तकाल संख्या 96 दिनांक 02.05.1988 दर्ज किया गया जो निम्न प्रकार से है :-

(क) मुकन्द कौर पत्नी महेन्द्र सिह का हिस्सा 0.475 हैक्टर दर्ज हुआ जो 0.316 हैक्टर दर्ज होना चाहिये था।

(ख) मेजर सिह पुत्र महेन्द्र सिह का हिस्सा 0.475 हैक्टर दर्ज हुआ जो 0.316 हैक्टर दर्ज होना चाहिये था।

(ग) मूर्ति पुत्री महेन्द्र सिह का हिस्सा 0.475 हैक्टर दर्ज हुआ जो 0.316 हैक्टर दर्ज होना चाहिये था।

(घ) जसपाल कौर पुत्री महेन्द्र सिह का हिस्सा 0.475 हैक्टर दर्ज हुआ जो 0.317 हैक्टर दर्ज होना चाहिये था।

नोट :- इन्तकाल संख्या 152 दिनांक 16.02.1992 बैयनामा द्वारा मुकन्द कौर, मेजर सिह, मूर्ति द्वारा अपने हिस्से की कुल 1.432 हैक्टर भूमि गुरदीप सिह, गुरजीत सिह पिसरान प्रेम सिह को बेचान कर दी जबकि मुकन्द कौर, मेजर सिह, मूर्ति अपने हिस्से की 0.948 हैक्टर भूमि ही बेचान कर सकते थे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

3. निरजंन सिह के फौत होने पर वसीयत इन्तकाल संख्या 660 दिनांक 02.09.2016 दर्ज किया गया जो निम्न प्रकार है :-

(क) जलन्धर सिह पुत्र बन्ता सिह, जसप्रीत सिह पुत्र नायब सिह, सुखवीर सिह पुत्र नाजम सिह बहिस्सा बराबर 1.265 हैक्टर।

वर्तमान जमाबंदी मे रणजीत सिह पुत्र गुरदेव सिह 3.037 हैक्टर, टेक सिह पुत्र मुख्यतार सिह 334 हैक्टर,जवन्द सिह पुत्र जगदेव सिह 0.425 हैक्टर, गुरजीत सिह पुत्र प्रेम सिह 0.175 हैक्टर, दीप सिह पुत्र प्रेम सिह 1.040 हैक्टर, मेवा सिह पुत्र प्रेम सिह 0.208 हैक्टर, जसपाल कौर पुत्री न्द्र सिह 0.475 हैक्टर, निर्मल सिह, सुखदेव सिह, अग्रेज सिह, गुरदीप सिह, हरदीप सिह पिसरान कम सिह बहिस्सा बराबर 0.948 हैक्टर, गुरचरण सिह पुत्र मेला सिह 0.948 हैक्टर, जलन्धर सिह बन्ता सिह, जसप्रीत सिह पुत्र नायब सिह, सुखवीर सिह पुत्र नाजम सिह बहिस्सा बराबर 1.265 टर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे है जो रिकार्ड की त्रुटि का ज्ञान होने के चात अविलम्ब पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ार्थी संख्या 1 से 10 की सुनवाई कर चक 46 एफ के खाता संख्या 39 मे निम्न प्रकार से संशोधन ये जाने के आदेश दिये जावे।

(क) निर्मल सिह पुत्र हाकम सिह का हिस्सा 0.189 हैक्टर के स्थान पर 0.126 हैक्टर होना चाहिये।

(ख) सुखदेव सिह पुत्र हाकम सिह का हिस्सा 0.189 हैक्टर के स्थान पर 0.126 हैक्टर होना चाहिये।

(ग) अग्रेज सिह पुत्र हाकम सिह का हिस्सा 0.189 हैक्टर के स्थान पर 0.126 हैक्टर होना चाहिये।

(घ) गुरदीप सिह पुत्र हाकम सिह का हिस्सा 0.189 हैक्टर के स्थान पर 0.126 हैक्टर होना चाहिये ।

(ड) हरदीप सिह पुत्र हाकम सिह का हिस्सा 0.189 हैक्टर के स्थान पर 0.126 हैक्टर होना चाहिये ।

(च) गुरचरण सिह पुत्र मेला सिह का हिस्सा 0.474 हैक्टर के स्थान पर 0.316 हैक्टर होना चाहिये।

(छ) कुलदीप सिह पुत्र मेला सिह का हिस्सा 0.474 हैक्टर के स्थान पर 0.316 हैक्टर होना चाहिये।

नोट :- कुलदीप सिह द्वारा अपना हिस्सा 0.474 हैक्टर कुलदीप सिह के पक्ष मे दस्तबरदारी किया गया इससे गुरचरण सिह का हिस्सा 0.948 हैक्टर हो गया जबकि गुरचरण सिह का कुल हिस्सा 0.632 हैक्टर होना चाहिये।

(क) मुकन्द कौर पत्नी महेन्द्र सिह का हिस्सा 0.475 हैक्टर के स्थान पर 0.316 हैक्टर दर्ज होना चाहिये।

(ख) मेजर सिह पुत्र महेन्द्र सिह का हिस्सा 0.475 हैक्टर के स्थान पर 0.316 हैक्टर दर्ज होना चाहिये।

(ग) मूर्ति पुत्री महेन्द्र सिह का हिस्सा 0.475 हैक्टर के स्थान पर 0.316 हैक्टर दर्ज होना चाहिये।

(घ) जसपाल कौर पुत्री महेन्द्र सिह का हिस्सा 0.475 हैक्टर के स्थान पर 0.317 हैक्टर दर्ज होना चाहिये।

नोट :- इन्तकाल संख्या 152 दिनांक 16.02.1992 बैयनामा द्वारा मुकन्द कौर, मेजर सिह, मूर्ति द्वारा अपने हिस्से की कुल 1.432 हैक्टर भूमि गुरदीप सिह, गुरजीत सिह

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

पिसरान प्रेम सिह को बेचान कर दी जबकि मुकन्द कौर, मेजर सिह, मूर्ति अपने हिस्से की 0.948 हैक्टर भूमि ही बेचान कर सकते थे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1,6,13,17 स्वंय उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से अधिवक्ता इन्द्रजीत सिह उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 15,16 की ओर से अधिवक्ता जसविन्द्र सिह उपस्थित आये एवं अप्रार्थी संख्या 17 की ओर से दर्शन सिह अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 1 व 6 की ओर से अशोक जोशी अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 1,6,11,15,16,17,18,19,20 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी 15,16,20 की ओर से पेश जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित शुद्धि पत्र संख्या 4 तत्कालीन पटवारी ने निरजंन सिह के वारिसान से मिलीभगत करके गलत तैयार किया है। इस शुद्धि पत्र को तैयार करते समय सभी खातेदारान को सूचित नही किया गया। इन्तकाल संख्या 85,96,152, नियमानुसार सही दर्ज है। गुरजीत सिह व गुरदीप सिह ने राजस्व रिकार्ड मे दर्ज भूमि अनुसार ही महेन्द्र सिह के वारिसान से भूमि क्रय की है और भूमि खरीद करने के बाद उक्त भूमि का तबादला अप्रार्थी संख्या 20 से किया है ओर इसी अनुसार भूमि पर काबिज है। प्रशनगतः खाता मे यदि किसी तरह का संशोधन कर अप्रार्थीगण की भूमि मे कटौती की जाती है तो उन्हे अपूरणीय क्षति होगी। प्रश्नगत खाता मे वसीयत इन्तकाल संख्या 660 दिनांक 02.09.2016 को दर्ज किया गया है जो अवैध व फर्जी दर्ज किया गया है। अप्रार्थी संख्या 15 व 16 ने प्रश्नगतः खाता मे पंजीकृत बैयनामा से महेन्द्र सिह के वारिसान से भूमि क्रय की है। इस बैयनामा को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नही है, सिविल न्यायालय को है। प्रार्थना पत्र मियाद बाद होने के कारण खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 11 व 21 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि निरजंन सिह की मृत्यु दिनांक 18.01.1989 को हो गई ओर निरजन सिह की भूमि विरास्तन इन्तकाल नं0 104 दिनांक 01.03.1989 से उनके लडके नायब सिह, नाजम सिह के नाम दर्ज है इसके बाद जलन्धर सिह आदि ने निरजंन सिह के नाम की फर्जी वसीयत तैयार करके निरजंन सिह की मृत्यु दिनांक 18.01.2004 को दर्शाकर इस फर्जी वसीयत के आधार पर इन्तकाल नं0 660 दर्ज किया जो फर्जी दर्ज किया गया है। राजस्व कैम्प 2016 मे शुद्धि पत्र संख्या 4 दिनांक 01.07.2016 दर्ज किया गया जिसमे निरजंन सिह के नाम 100 हिस्सा दर्ज किया गया और कूट रचित वसीयत के आधार जसप्रीत सिह आदि के नाम 1.265 हैक्टर भूमि दर्ज की गई। यह बात सही है कि गज्जन सिह व महेन्द्र सिह की मृत्यु के बाद उनकी भूमि विरास्तन दर्ज हुई ओर महेन्द्र सिह के वारिसान मेजर सिह, मूर्ति, मुकन्द कौर द्वारा अपनी भूमि का बेचान कर दिया जिस पर खरीददार का कब्जा है। मेरे नाम कुल 0.475 हैक्टर भूमि सही दर्ज है जिसे निर्मल सिह व सुखदेव सिह को हिस्सा ठेका पर दिया जाता रहा जो अब बतौर अतिक्रमी काबिज है जिस बाबत इसी न्यायालय मे जसपाल कौर बनाम टेक सिह आदि दावा विचाराधीन है। निरजंन सिह की मृत्यु वर्ष 1989 मे होने पर विरास्तन इन्तकाल संख्या 104 दिनांक 01.03.1989 उनके लडके नायब सिह, नाजम सिह के नाम दर्ज किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 व 6 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि इस खाता के योग मे अन्तर है, यह अन्तर निरन्तर त्रुटिपूर्ण इन्तकाल दर्ज किये जाने के कारण है। खाते का तमाम विवरण अंकित नही है जिसके कारण प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। वर्णित खाता सम्वत 2027 ता 36 तक सही था और कुल योग 7.590 हैक्टर था जिसमे गज्जन सिह, निरजंन सिह, महेन्द्र सिह पिसरान फतेह सिह के नाम कुल खाता का 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर दर्ज था। खाता की त्रुटि जमाबंदी सम्वत 2037 ता 40 बनाते समय उत्पन्न हुई। जिन सहखातेदारो के नाम बढा हुआ हिस्सा था उनके वारिसान के नाम विरास्तन भी बढा हुआ दर्ज हो गया ओर बढा हुआ हिस्सा ही पंजीकृत बैयनामा से बेचान कर दिया। यह वर्षो से सही नामान्तरण दर्ज नही किये जाने के कारण पुरानी त्रुटि है। जिसका प्रथम त्रुटि वाले खाता को दुरूस्त कर किया जाना सम्भव है।

अतिरिक्त कथन मे निवेदन किया कि हम अप्रार्थीगण को इस विवादित खाता मे गज्जन सिह पुत्र फतेह सिह के माध्यम से 1.265 हैक्टर भूमि विरास्तन प्राप्त हुई है जो हमारे कब्जे मे चली आ रही है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

इस खाता के अलावा भी हमारे नाम इन्ही सहखातेदारो के नाम अन्य खातो मे इसी चक मे कृषि भूमि है तथा अन्य खातो की भूमि का तबादलानामा इस खाता के खातेदारो की भूमि से किया हुआ है अर्थात त्रुटिपूर्ण रूप से बढी हुई भूमि के समकक्ष भूमि से तबादला किया हुआ है यदि प्रार्थना पत्र मे अंकित अनुसार संशोधन किया जाता है तो अत्यधिक विवाद उत्पन्न होगे। अतः पूर्व त्रुटियो को संशोधित करते हुये गत जमाबंदियो मे हुई त्रुटि को संशोधन करके इस त्रुटि को दुरूस्त किया जावे। अप्रार्थी संख्या 17,18,19 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

बहस सुनी गई। पैरोकार राज के द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य को दोहराते हुए निवेदन किया कि यह रिकॉर्ड की त्रुटि है। जिसे राज्य सरकार की डी.आई.एल.आर.एम.पी योजना के अन्तर्गत सही किया जाना उचित है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। पैरोकार राज के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे रिकार्ड संबंधी दस्तावेज यथा इन्तकाल व जमाबंदिया प्रस्तुत की। अप्रार्थी संख्या 11 के अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये निवेदन किया कि यदि रिकार्ड के अनुसार उनकी 0.316 हैक्टर जमीन बनती है तो वह जमीन उसी अनुसार उनके नाम दर्ज की जावे। अप्रार्थी संख्या 15,16,20 के अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस मे जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नही है। उनके द्वारा यह भूमि खरीद की गई है ओर तबादला से प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे व साक्ष्य स्वरूप इकरारनामा, बैयनामा व मुखत्यारनामा खास की छाया प्रतिया पेश की। अप्रार्थी संख्या 1 व 6 के अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस मे जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र मे अंकित अनुसार त्रुटियां दुरूस्त नही की जाकर पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर गत जमाबंदियो मे दुरूस्ती की जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 15,16,20 के अधिवक्ता के द्वारा जो बैयनामा प्रस्तुत किया है वह मुखत्यारेआम खास द्वारा निष्पादित किया है जिसमे तीन पक्षकार मूर्ति, मुकन्द कौर, मेजर सिह की भूमि के बेचान बाबत पेश किया है जो मुखत्यारेआम खास की प्रति पेश की है वह महेन्द्र सिह के चार वारिसान की तरफ से हरी सिह पुत्र महंगा सिह के नाम निष्पादित किया गया है और प्रस्तुत बैयनामा मेवा सिह के द्वारा निष्पादित किया गया है। एक इकरारनामा पेश किया है जिसमे महेन्द्र सिह चारो वारिसान की तरफ से लिखा जाना अंकित है, परन्तु इकरारनामा के आधार पर इस न्यायालय द्वारा कोई अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता। इस संबंध मे अप्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। अधिवक्ता के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आर.आर.डी. 1998 पेज 8,9,10,11 पेश किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। यह न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण मे चस्पा नही होता है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते है:-

1. चक 46 एफ की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 39 मे दर्ज निर्मल सिह, सुखदेव सिह, अग्रेज सिह, गुरदीप सिह,हरदीप सिह पिसरान हाकम सिह बहिस्सा बराबर 0.948 हैक्टर के स्थान पर निर्मल सिह, सुखदेव सिह, अग्रेज सिह, गुरदीप सिह,हरदीप सिह पिसरान हाकम सिह बहिस्सा बराबर 0.630 हैक्टर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी खाता मे दर्ज गुरचरण सिह पुत्र मेला सिह 0.948 हैक्टर के स्थान पर गुरचरण सिह पुत्र मेला सिह 0.632 हैक्टर भूमि दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।
2. महेन्द्र सिह की मृत्यु होने पर विरास्तन इन्तकाल 96 दिनांक 02.05.1988 दर्ज किया गया जिसमे मुकन्द कौर पत्नी महेन्द्र सिह का हिस्सा 0.475 हैक्टर दर्ज हुआ जो कि 0.316 हैक्टर होना चाहिये था, मेजर सिह पुत्र महेन्द्र सिह का हिस्सा 0.475 हैक्टर दर्ज हुआ जो 0.316 हैक्टर दर्ज होना चाहिये था, मूर्ति पुत्री महेन्द्र सिह का हिस्सा 0.475 हैक्टर दर्ज हुआ जो कि 0.316 हैक्टर दर्ज होना चाहिये था। इस प्रकार मुकन्द कौर 0.316 हैक्टर, मेजर सिह 0.316 हैक्टर एवं मूर्ति 0.316 हैक्टर भूमि का बेचान करने के हकदार थे परन्तु

अधिकारी (राजस्व) ...णपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

बेयनामा इन्तकाल संख्या 152 दिनांक 16.09.1992 द्वारा इन तीनो ने अपने हिस्से की कुल 1.423 हैक्टर भूमि गुरजीत सिंह, गुरदीप सिंह पिसरान प्रेम सिंह को बेचान कर दिया। इन तीनो पक्षकारों को कुल 0.948 हैक्टर भूमि बेचान करने का हक था इन्होंने अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान किया है। ऐसा बेयनामा जो हिस्से से अधिक किया गया है वह प्रारम्भतया ही शून्य और निष्प्रभावी है और उसी हद तक (0.948 हैक्टर तक), जिसे करने का अधिकार विक्रेतागण को था, वह वैध है। शेष हिस्से तक यह बेयनामा प्रारम्भतया शून्य और निष्प्रभावी है। इस बेचान से गुरजीत सिंह व गुरदीप सिंह के नाम 1.423 हैक्टर बहिस्सा बराबर रकबा दर्ज हुआ। गुरजीत सिंह के द्वारा 0.536 हैक्टर भूमि इन्तकाल संख्या 656 से गुरदीप सिंह व मेवा सिंह से तबादलानामा किया जबकि उसे मात्र 0.474 हैक्टर भूमि का तबादला करने का अधिकार था। अतः इस इन्तकाल संख्या 656 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार श्रीकरणपुर को आदेशित किया जाता है कि इस संबंध मे यदि पक्षकारान के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो तबादलानामा की नियमानुसार कार्यवाही सम्पन्न करे। इस प्रकार इस खाता मे गुरजीत सिंह, गुरदीप सिंह पिसरान प्रेम सिंह बहिस्सा बराबर 1.423 हैक्टर के स्थान पर गुरजीत सिंह, गुरदीप सिंह पिसरान प्रेम सिंह 0.948 हैक्टर रकबा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

3. चक 46 एफ की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 39 मे दर्ज जसपाल कौर पुत्री महेन्द्र सिंह 0.475 हैक्टर के स्थान पर 0.317 हैक्टर भूमि दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। यह आदेश राज्य सरकार की डी.आई.एल. .पी योजना के अन्तर्गत जारी किया गया है। इस संबंध मे या इस भूमि के संबंध मे यदि किसी ायालय का कोई आदेश या स्थगन आदेश होगा ओर इस भूमि बाबत यदि किसी न्यायालय मे कोई करण विचाराधीन होगा तो यह आदेश उस न्यायालय के आदेश या स्थगन आदेश या विचाराधीन प्रकरण निर्णय के अध्याधीन रहेगा। आदेश इस आशय का तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। ावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.1.19.....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया या।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

श्रीमती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}

उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}

श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner